

आलुराज
दयाम

26.6.18

पत्रावली नाम आपने दूर-2018 में न्यायालय
द्वारा में पेश हुई वारी एवं प्रतिकारी सभाने
उपाधीत टोकर निवेदन किया है कि आपसी
सहमति से पूर्व में बटवारा करा लिया है
इसलिए बाद विवाद करने का प्रयत्न नहीं
असावधानी साधक शामिल पत्रावली की गई।
पक्षकारों को सुन एवं पत्रावली का अवलोकन
करने पर सहमति से बटवारा हो चुका है
अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही उपरोक्त
नहीं है अतः पक्षकारों का निवेदन स्वीकार
कर वारी का वाद खारिज किया गया।
पत्रावली केसल शुमार टोकर दर्ज नगद से
अस है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

उप खण्ड अधिवारी
सौमर लेक